राजस्थान सरकार
वित्त (ई.ए.डी.) विभाग

क्रमांकः एफ.5(थ–75)कोष / IFMS/कोषालय / 5338-578 दिनांक 20/7/2016

विभागाध्यक्ष
समस्त।

विषयः– कोषालयों द्वारा पारित बिलों के भुगतान हेतु बैंको को प्रेषित ई.सी.एस./ एन.ई.एफ.टी. फाईलों के Rejected Transactions के विरूद्व जारी किये जाने वाले बैंकर्स चैक के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुरोध है कि कतिपय आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषालयों को प्रेषित ऑनलाईन बिलों में लाभार्थियों के बैंक खातों का विवरण गलत इन्द्राज कर दिया जाता है जिसके कारण कोषालयों द्वारा बैंक को प्रेषित ई.सी.एस./ एन.ई.एफ.टी. की फाईलों में से कुछ संव्यवहार रिजेक्ट हो जाते हैं।

इस संदर्भ में इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र संख्या एफ.5(थ–75)कोष / आई.एफ.एम.एस. / पे–मैनेजर / 289–638 दिनांक 11.04.2012, एफ.5(थ–75)कोष / आई. एफ.एम.एस. / पे–बिल / 3864–4263 दिनांक 18.05.2012, एफ.5(थ–75)कोष / आई.एफ.एम. एस. / अन्य बिल / 8208–8607 दिनांक 03.08.2012 एवं वित्त (जी.एण्ड.टी.) विभाग का परिपत्र संख्या एफ.1(3)एफडी. / जी.एफ.एण्ड.ए.आर. / 2014 दिनांक 18.03.2016 का संदर्भ लेवें, जिसके अनुक्रम में ऑनलाईन बिल तैयार करने एवं संबंधित लाथार्थियों के बैंक खाता विवरण सावधानीपूर्वक जाँच कर सिस्टम में इन्द्राज करने हेतु संबंधित आहरण वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। इसके उपरान्त भी आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषालयों को प्रेषित ऑनलाईन बिलों में लाभार्थियों के बैंक खातों का विवरण गलत इन्द्राज कर दिया जाता है जिसके कारण कोषालयों द्वारा बैंक को प्रेषित ई. सी.एस. / एन.ई.एफ.टी. की फाईले आंशिक रूप से रिजेक्ट हो जाती है एवं लाभार्थियों को समय पर भुगतान नहीं हो पाता है।

उक्त रिजेक्टेड संव्यवहारों की रिपोर्ट पे–मैनेजर पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी के लॉगिन में उपलब्ध है। जिसका पाथ निम्नानुसार है :–

Reoprts –DDo report –Bank related report - Rejected account detail

अतः आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा दिन–प्रतिदिन के आधार पर उनके लॉगिन में उपलब्ध रिजेक्टेड अकाउन्ट डिटेल की रिपोर्ट की जाँच कर रिपोर्ट में दर्शाये गये रिजेक्टेड संव्यवहारों के बैंकर्स चैक कोषालय से संबंधित एजेन्सी बैंक से प्राप्त कर संबंधित लाभार्थियों को भुगतान करना अपेक्षित है परन्तु इसकी पूर्णतः पालना नहीं की जा रही है। इस संबंध में कोषालयों के अधीन आहरण वितरण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने के लिए निदेशालय के पत्रांक एफ. 5(थ–75)कोष / आई.एफ.एम.एस. / पे–बिल / 4329–4367 दिनांक 18.05.2012 द्वारा भी समस्त कोषालयों को लिखा गया था (प्रति संलग्न)।

अतः आपके विभाग के अधीनस्थ समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को बैंको द्वारा रिजेक्ट किए गए संव्यवहारों की जाँच दिन–प्रतिदिन के आधार पर उनके लॉगिन में उपलब्ध रिपोर्ट से की जाकर रिजेक्टेड संव्यवहारों के बैंकर्स चैक कोषालय के साथ अधिकृत एजेन्सी बैंक शाखा से प्राप्त कर संबंधित लाभार्थियों को अविलम्ब भुगतान करने हेतु निर्देशित करने तथा की गयी कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाने का श्रम करें। साथ ही पूर्व में लंबित समस्त बैंकर्स चैक का निस्तारण एक माह की अवधि में करने हेतु भी अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों को अवगत करवाने का श्रम करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(आशुतोष वाजपेयी)
संयुक्त शासन सचिव

5579–623
20/7/2016

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. कोषाधिकारी, समस्त
2. आहरण वितरण अधिकारी, समस्त
3. मुख्य प्रबन्धक, (सरकारी लेखा), एस.बी.बी.जे. तिलक मार्ग, जयपुर।
4. महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एयरपोर्ट प्लाजा, दुर्गापुरा, टोंक रोड, जयपुर।
5. सहायक उपमहाप्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, आनन्द भवन, संसार चन्द्र रोड, जयपुर।
6. फील्ड महाप्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक नेहरू प्लेस, टोंक रोड़, जयपुर।
7. उपमहाप्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, नेहरू प्लेस, टोंक रोड, जयपुर
8. मुख्य प्रबन्धक, बैंक ऑफ महाराष्ट्रा, यू.पी.एस.सी. बिल्डिंग, नई दिल्ली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर 367

क्रमांकः– एफ.5(थ–75)कोष / IFMS / पे–बिल / 4329–4367 दिनांक :– 18/5/2012

कोषाधिकारी समस्त तथा
भुगतान एवं लेखाधिकारी,
बीकानेर हाऊस, नई दिल्ली।

विषयः– वेतन बिलों का ई.सी.एस. / एन.ई.एफ.टी. से भुगतान के संबंध में।

संदर्भः– निदेशालय के पूर्व पत्रांक 1329–1367 दिनांक 16.04.2012, 1368–1406 दिनांक 16.04.2012 एवं 1783–1821 दिनांक 25.04.2012

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि वेतन बिलों के ई–भुगतान के संबंध में संदर्भित पत्रों द्वारा निर्देशित किया जा चुका है। एक बार पुनः निम्न कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया जाता है :–

1. ई.सी.एस. / एन.ई.एफ.टी. की प्रतिदिन 2 अथवा 3 फाइल ही बनाई जावें। अनावश्यक छोटी–छोटी फाइलें नहीं बनाई जावें। अति आवश्यक होने पर ही छोटी फाइल बनायें।
2. समस्त आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा संवेतन बिलों पर सभी राज्य कर्मचारियों के बैंक खातें सही होने के संबंध में प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से अंकित करवाया जावें।
3. सभी आहरण वितरण अधिकारियों के स्तर पर ऑनलाइन वेतन बिल में बैंक का चयन सही किया जाये तथा बैंक खातों को जांच कर प्रमाणित किया जावें।
4. बैंक खातों की जांच हेतु आर.बी.आई. की वेबसाईट पर सभी बैंकों के IFSC कोड उपलब्ध है, की भी जांच कर ली जावे।
5. गलत खाता संख्या की वजह से यदि किसी बिल में आंशिक भुगतान कर दिया गया है तो शेष राशि की सूचना व उसका बैंकर्स चैंक संबंधित एजेन्सी बैंक शाखा द्वारा आहरण वितरण अधिकारी को ही दिया जावेगा।
6. समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जावे कि यदि बिल में कर्मचारियों के कॉपरेटिव सोसायटी की कटौतियां है तो उस सोसायटी के बैंक खातें का भी सही अंकन किया जावें।

P.T.O.

7. संवेतन बिल माह की 20 तारीख के बाद अनिवार्य रूप से लेने प्रारम्भ कर दिए जावें तथा 25 तारीख तक पारित कर फाइल अपलोड करना प्रारम्भ कर दिया जावे जिससे माह की अन्तिम तारीख तक सभी फाइले बैंक को डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो सके।

8. प्रतिदिन समय–समय पर बैंक से प्राप्त रिजेक्टेड फाइल्स की सिस्टम पर जांच की जावें तथा उनका समाधान कर पुनः अपलोड की जावे।

9. बैंक द्वारा दिए गए सॉफ्टकॉपी फीड बैक रिपोर्ट की जांच की जावे तथा नो रिस्पोन्स वाली फाइल्स की बैंक स्तर पर जांच की जावे।

10. ई.सी.एस. / एन.ई.एफ.टी. से होने वाले वेतन भुगतानों के संबंध में बैंक स्तर से किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु बैंको के निम्न हैल्प लाईन नम्बरों पे संपर्क करे।

1. एस.बी.बी.जे.	—	0141–5117006
2. पी.एन.बी.	—	0141–2747191
3. बी.ओ.बी.	—	0141–2378473
4. सी.बी.आई.	—	0744–2320805
		9414183692–श्री गुप्ता
5. यू.को. बैंक	—	9660536848–श्री दास
6. एस.बी.आई.	—	9950999451– श्री बाजपेयी
		9950999179–श्री जे.पी. जैन

भवदीय

निदेशक